

बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 148701 / पटना, दिनांक 17/5/13

ग्रा0वि0-6-म0प्र0पदा0 एवं प्र0पदा0- (ACP)- 30/2013

प्रेषक,

डॉ0 सतीश प्रसाद

संयुक्त निदेशक (पशुपालन) ।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी, रोहतास, शिवहर, अरवल, सारण, बेगूसराय, सुपौल, एवं कटिहार  
उप विकास आयुक्त, रोहतास, शिवहर, अरवल, सारण, बेगूसराय, सुपौल, एवं कटिहार

विषय:- प्रसार पदाधिकारी (उद्योग एवं वाणिज्य) के विगत पाँच वर्षों का अद्यतन गोपनीय चरित्र एवं अद्यतन अभिप्रमाणित सेवापुस्त उपलब्ध कराने के संबंध में ।

प्रसंग:- पत्रांक- 117017 दिनांक- 09.08.2011

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक एवं प्रासंगिक पत्र का कृपया निर्देश किया जाय । जिसमें दिनांक- 31.07.2012 को 50 वर्षों की उम्र सीमा पूरी करने वाले प्रसार पदाधिकारी (सम्प्रति प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी एवं कार्यपालक दंडाधिकारी के पद पर प्रतिनियुक्त सहित) का अद्यतन गोपनीय चारित्रिक अभियुक्तियों एवं अद्यतन अभिप्रमाणित सेवापुस्त तथा दंड एवं आरोप आदि की स्थिति की सूचना की माँग की गयी थी । जो अबतक आपके जिले से अप्राप्त है । उल्लेखनीय है कि 50 वर्ष की आयु कर चुके ऐसे पदाधिकारी को विभागीय परीक्षा से विमुक्ति करने की कार्रवाई की जा रही है ।

अतः संबंधित पदाधिकारियों से इसके लिए आवेदन प्राप्त कर के अद्यतन गोपनीय चारित्रिक अभियुक्तियों एवं सेवापुस्त की छायाप्रति की अभिप्रमाणित प्रति एवं दंड तथा आरोप की स्थिति स्पष्ट करते हुए अभिलंब सूचना उपलब्ध करायी जाये ।

इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय ।

विश्वासभाजन

  
(डॉ0 सतीश प्रसाद)

संयुक्त निदेशक (पशुपालन)